न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 231 सन 2019

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रणजीतसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपूत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री रणजीतसिंह पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर।
3. नसीब कंवर पुत्री रणजीतसिंह पत्नी हुकमसिंह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. निरमा कंवर पुत्री रणजीतसिंह पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. पूनम पुत्री रणजीतसिंह पत्नि विक्रमसिंह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री रणजीतसिंह पत्नी भीमसैन जाति राजपूत साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
7. सुनीता पुत्री रणजीतसिंह पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
9. सुमेरसिंह 10 निकास पुत्रगण रणजीतसिंह जाति राजपूत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
12. मोहित 13 गोविन्द नाबालिग पुत्रगण प्रहलाद सिंह जरिये सरक्षिका माता पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द कुमार मोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17/07/2019

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 127/111 के कुल किता 29 की कुल 7.1980हैक मे से प0न0 367/389(10) के किला न0 4 ,5 ,7 ,14 ,17 ,24/1.505हैक , प0न0 366/394(61) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,19 ता 22 की 3.289हैक व प0न0 365/394(62) के किला न0 3/1 की 0.127हैक व 5 ता 8 ,12 ता 15/1.771हैक कुल 6.692हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उक्त भूमि दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादीया संख्या 2 ता 7 ,8 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 , 8 ता 14 का का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहिने है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 8 ता 14 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वर्तमान में वाद भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उनके हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिनों तक तो आजकल करता रहा अन्त मे इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 127/111 के कुल किता 29 की कुल 7.1980हैक मे से प0न0 367/389(10) के किला न0 4 5

Scanned with CamScanner

,7 ,14 ,17 ,24/1.505हैक , प0न0 366/394(61) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,19 ता 22 की 3.289हैक व प0न0 365/394(62) के किला न0 3/1 की 0.127हैक व 5 ता 8 ,12 ता 15/1.771हैक कुल 6.692हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 का 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 14 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पेशकार राज ने अपने जबाब में अंकित किया की वादीगण पैतृक भूमि स्वय साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो राज्यपक्ष को ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर वकील वादीगण को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 127/111 के कुल किता 29 की कुल 7.1980हैक में से प0न0 367/389(10) के किला न0 4 ,5 ,7 ,14 ,17 ,24/1.505हैक , प0न0 366/394(61) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,19 ता 22 की 3.289हैक व प0न0 365/394(62) के किला न0 3/1 की 0.127हैक व 5 ता 8 ,12 ता 15/1.771हैक कुल 6.692हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पूर्व में वादीगण के दादा छोगाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 , 9 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहन है ने यह भी स्वीकार कर लिया है उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 14 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया गया है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रतिवादी संख्या 1,ता 7 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित है वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 127/111 के कुल किता 29 की कुल 7.1980हैक में से प0न0 367/389(10) के किला न0 4 ,5 ,7 ,14 ,17 ,24/1.505हैक , प0न0 366/394(61) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,19 ता 22 की 3.289हैक व प0न0 365/394(62) के किला न0 3/1 की 0.127हैक व 5 ता 8 ,12 ता 15/1.771हैक कुल 6.692हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 का 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 127/111 के कुल किता 29 की कुल 7.1980हैक में से प0न0 367/389(10) के किला न0 4 ,5 ,7 ,14 ,17 ,24/1.505हैक , प0न0 366/394(61) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,19 ता 22 की 3.289हैक व प0न0 365/394(62)

Scanned with CamScanner

के किला न0 3/1 की 0.127हैव व 5 ता 8 ,12 ता 15/1.771हैव कुल 6.692हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा छोमाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जो पर्चा खतोनी से पूर्णत्या साबित है वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छोमाराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से पूर्णत्या साबित है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा छोमाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ,9 ता 14 का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौतों/पौतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा भी पेश किया है

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग/तर्क वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 14 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 127/111 के कुल किता 29 की कुल 7.1980हैव में से प0न0 367/389(10) के किला न0 4 ,5 ,7 ,14 ,17 ,24/1.505हैव , प0न0 366/394(61) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,19 ता 22 की 3.289हैव व प0न0 365/394(62) के किला न0 3/1 की 0.127हैव व 5 ता 8 ,12 ता 15/1.771हैव कुल 6.692हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 का 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/07/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र रणजीतसिह जाति राजपूत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रणजीतसिह पुत्र छोगसिह जाति राजपुत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री रणजीतसिह पत्नी इन्द्रसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर।
3. नसीब कंवर पुत्री रणजीतसिह पत्नी हुकमसिह जाति राजपुत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. निरमा कंवर पुत्री रणजीतसिह पत्नी विक्रमसिह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. पूनम पुत्री रणजीतसिह पत्नि विक्रमसिह जाति राजपूत साकिन नहराना तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री रणजीतसिह पत्नी भीमसैन जाति राजपूत साकिन कर्मशाना तहसील नोहर।
7. सुनीता पुत्री रणजीतसिह पत्नी पुष्पेन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
9. सुमेरसिह 10 विकास पुत्रगण रणजीतसिह जाति राजपुत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपुत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
12. मोहित 13 गोविन्द नाबालिग पुत्रगण प्रहलाद सिह जरिये सरक्षिका माता पुष्पा पत्नी प्रहलाद जाति राजपूत साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 231 सन 2019 निर्णय दिनांक– 17/7/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 127/111 के कुल किता 29 की कुल 7.1980हैक में से प0न0 367/389(10) के किला न0 4 ,5 ,7 ,14 ,17 ,24/1.505हैक , प0न0 366/394(61) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,19 ता 22 की 3.289हैक व प0न0 365/394(62) के किला न0 3/1 की 0.127हैक व 5 ता 8 ,12 ता 15/1.771हैक कुल 6.692हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 का 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/7/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner